दिनांक– 15.10.2025

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित मूल दीवानी वाद को वादी द्वारा विड्रो किया जाने से वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी गण जरिये विड्रोल खारिज किया जा चुका है। अतः ये प्रार्थना–पत्र भी खारिज किया जाकर काउंटर प्रार्थना–पत्र को मूल प्रार्थना–पत्र के स्थान पर रखा जाता है। इस आदेश के माध्यम से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत **आदेश 39 नियम 01, सी.पी.सी.** का निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ताओं की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस टी.आई. गत पेशी सुनी गई।

दौराने बहस आवेदक/प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक व अनावेदक संख्या 1 की पैतृक खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 1175/575, 1212/565, 576, 577, 578, 614, 656 रकबा क्रमश 0.75, 0.29. 0.01, 2.75, 0.02, 0.55, 0.93 कुल किता 7 कुल रकबा 5.30 हैक्टर वाके ग्राम पबाना में स्थित है। आवेदक व अनावेदक संख्या 1 को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई है। जो गलत रूप से अकेल आवेदक के नाम हिस्सा 3575/26500 दर्जशुदा है। हालांकि उक्त हिस्सा आवेदक के नाम दर्ज है। लेकिन पैतृक संपति होने से आवेदक के तमाम जीवित वारिसान का जन्म के साथ ही हक हिस्सा है। अनावेदक संख्या 1 ने अपने हिस्से सड़क से लगती हुई भूमि में से 24 गुणा 25 कुल क्षेत्रफल 66.66 वर्गगज भूमि का एक इकरारनामा बाबत विक्रय दिनांक 15.07.2020 अनावेदक संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया और विक्रय प्रतिफल राशि 12 लाख में से 11 लाख रूपये नगद प्राप्त कर लिए तथा 1 लाख रूपये विक्रय–पत्र के वक्त प्राप्त करना स्वीकार किया है। जिसमे अनावेदक संख्या 1 की पत्नी कविता देवी बतौर गवाह रही है। उक्त इकरारनामा दिनांक 15.07.2020 के तस्दीक होने के रोज ही उक्त भूखंड का कब्जा भी अनावेदक संख्या 2 को सुपुर्द कर दिया था। जिस पर अनावेदक संख्या 2 ने ईंट व पत्थर डलवा दिए थे जो अभी पड़े हैं। आवेदक अनावेदक संख्या 1 का पिता है, जो अनावेदक संख्या 1 से मिलकर अनावेदक संख्या 2 को विक्रय की गई भूमि नहीं देना प्रस्तुत किया है। जबकि मौजूदा प्रार्थना–पत्र में आवेदक द्वारा अनावेदक संख्या 2 के पक्ष में किए गये इकरारनामा को कोई चुनौती नहीं है और ना ही उक्त इकरारनामा को निरस्त करवाने की कोई सहायता चाही है। अतः काउंटर टी.आई. मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि तादौराने प्रतिदावा अनावेदक संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि उक्त नजरी नक्शा में दर्शित ए,बी,सी,डी बिंदुओं के भूखंड का विक्रय पत्र आवेदक या अनावेदक संख्या 1 न तो स्वंय करे अथवा न अपने अधीनस्थ किसी नौकर, चाकर आदि से करावे। रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदक के अभिवचनों से अधिकाशतः इन्कार करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या में वर्णित भूमि में आवेदक का 3513/2650 हिस्सा नहीं है, बल्कि 3513/26500 है। आवेदक का अपने हिससे पर कब्जा काश्त है। आवेदक को अपने हिससे की भूमि पर सभी हक अधिकार प्राप्त है। आवेदक ने अनावेदक संख्या 1 को अपनी भूमि का कोई भाग नहीं दे रखा। अनावेदक संख्या 2 को आवेदक की भूमि के किसी भाग का कोई इकरारनामा करवाने का कोई अधिकार नहीं है। इकरारनामा दिनांक 15.07.2020 मैन्यू प्लेटेड है। फर्जी है तथा अविधिक तथा अधिकार विहिन है। इकरारनामा दिनांक 15.07.2020 के आधार पर

कोई अधिकार अनावेदकगण को प्राप्त नहीं होते हैं। आवेदक अपने हिससे की भूमि पर काबिज है तथा आबाद है। अनावेकद संख्या 1 व 2 ने आपस में मिलकर आवेदक की खातेदारी हक अधिकारों की भूमि का जो इकरारनामा बनाया है, वह आधारहीन है तथा सभी कानूनों के विपरीत तथा षड्यंत्रपूर्वक है। उक्त मद में अनावेदक संख्या 1 द्वारा इकरारनामा के सही होने के कथन किए गए हैं जो अनावेदकगण की मिलीभगत के कारण आवेदक की जमीन को हड़पने के लिए किए गए हैं। अनावेदक संख्या 2 द्वारा अनावेदक संख्या 1 को 11,00,000/– रूपये अक्षरे ग्यारह लाख रूपये भुगतान करने का तथ्य कतई मानने योग्य नहीं है। इतनी बड़ी रकम यदि अनावेदक संख्या 2 द्वारा अनावेदक संख्या 1 को दी जाती तो वह जरिये बैंक ही दी जा सकती थी। इतनी बड़ी राशि नगर दिया जाना कानूनन अनुज्ञेय नहीं है। आवेदक ने कोई इकरारनामा 24 गुणा 25 कुल 66.66 वर्गगज भूमि को विक्रय करने का स्वीकार नहीं किया है। काउंटर टी.आई. प्रार्थना पत्र की मद सांख्या 2 में वर्णित भूमि आवेदक व अनावेदक संख्या 1 की खातेदारी की भूमि गलत बताया है। सही तथ्य यह है कि आवेदक के अलावा उक्त मद में वर्णित भूमि के 26 अन्य सह खातेदार है तथा अनावेदक संख्या 1 का इस भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। आवेदक का उक्त भूमि में हिस्सा 3575/26500 है। अनावेदक संख्या 1 का उक्त मद में वर्णित भूमि में ना तो कोई हिस्सा है तथा ना ही कोई हिस्सा आवेदक ने अनावेदक संख्या 1 को दे रखा है। अनावेदक संख्या 1 के हिस्से में कोई भूमि नहीं आई है तथा ना ही आवेदक के हिस्से के किसी भाग को विक्रय करने का अनावेदक संख्या 1 को कोई अधिकार है। अनावेदकगण द्वारा इकरारनामा दिनांक 15.07.2020 गलत रूप से बिना अधिकार के षड्यंत्रपूर्वक बनाया है। आवेदक ने कोई प्रतिफल राशि अनावेदक संख्या 2 से प्राप्त नहीं की है। अनावेदक संख्या 2 ने स्वयं अपने प्रभाव के वकील से दावा/प्रार्थना पत्र करवाया है। इसलिए दावा/प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के बारे में आवेदक को जानकारी ही नहीं थी। बल्कि आवेदक ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। दावा में लिखे तथ्यों से आवेदक को वाकिफ नहीं करवाया गया। इसएिल वादी ने दावा वापिस ले लिया है। दावा में लिखे गए तथ्य आवेदक पर लागू नहीं है। इकरारनामा भी अस्वीकार है तथा नक्शा भी अस्वीकार है। अनावेदक संख्या 2 ने अनावेदक संख्या 1 को आवेदक की जानकारी में कोई राशि अदा नहीं की है। आवेदक की जमीन को हड़पने के लिए इकरारनामा फर्जी व बनावटी अनावेदकगण ने तैयार किया है। अतः जवाब काउंटर टी.आई. प्रार्थना–पत्र मय जवाब–उल जवाब पेशकर निवेदन है कि अनावेदक संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउंटर टी.आई प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान के बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 01 व 02, सिविल प्रकिया सहिंता, 1908 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Dalpat kumar and Anr.Vs. Prahlad Singh and Ors. AIR 1993 SC 276** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार न्यायालय को निम्नलिखित **03 बिन्दुओं** को निर्धारित करना हैः–

01. क्या आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है ?
02. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ?

03. क्या आवेदक द्वारा प्रस्तुत अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की स्थिति में उसे अपूरणीय क्षति होगी ?

<u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u>

सर्वप्रथम अगर हम प्रथम दृष्टया मामले पर गौर करे तो उक्त बिन्दु को साबित करने का भार आवेदक/प्रार्थी पर है, जिसमें उन्हे साक्ष्य या अन्यथा न्यायालय को संतुष्ट करना होता है की प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि किसी एक पक्ष को दूसरे पक्ष के विरूद्ध क्या ऐसे सारवान विधिक अधिकार प्राप्त थे, जिनका दूसरे पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया गया? यदि एक पक्ष अपने हक में कोई विधिक अधिकार होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित कराता है तो तदुपरांत न्यायालय को यह दृष्टिगत करनाहोगा के किस पक्ष के ऐसे अधिकार को मूल वाद के निस्तारण तक संरक्षित किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है अथवा नहीं। उल्लेखनीय है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निस्तारण के लिए न्यायालय के लिए उपेक्षित न्याय निर्णयन सीमित एवं संदर्भित होता है। न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर सद्भाविक विचारणीय बिन्दु के अस्तित्व के संबंध में निर्धारण करना होता है। उपरोक्त विधिक प्रावधानों की रौशनी में पत्रावली का अवलोकन करें तो हस्तगत प्रकरण द्वारा अनावेदक संख्या 1 के हिस्से की प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि को जरिये इकरारनामा बाबत् विक्रय दिनांक 15.07.2020 को निष्पादित करना बताया तथा उपरोक्त भूखंड पर इकरारनामा की दिनांक से प्रार्थी द्वारा स्वयं का कब्जा लेकर ईंट व पत्थर भूखंड पर डालना बताया। इसके विपरीत अप्रार्थी ने उपरोक्त इकरारनामे को मैन्यू प्लेटेड तथा फर्जी बताया है तथा प्रार्थी व अनावेदक संख्या 1 का आपस में मिलकर बनाए गए इकरारनामे को आधारहीन होना बताया है। उपरोक्त के संबंध में न्यायालय का मत व विवेचन इस प्रकार है कि चूंकि प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में विवादित भूखंड को अनावेदक संख्या 1 से जरिये इकरारनामा विक्रय करना बताया है। उपरोक्त इकरारनामा फर्जी है या मैन्यू प्लेटेड है या इकरारनामे में वर्णित भूखंड को बेचने का अधिकार अनावेदक संख्या 1 को था या नहीं, उपरोक्त सभी साक्ष्य के प्रश्न हैं। जिसका निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य ही किया जा सकता है। प्रथमदृष्ट्या प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में विवादित भूखंड को जरिये इकरारनामा विक्रय करना बताया गया है। जो आज दिनांक तक अस्तित्व में है। उपरोक्त इकरारनामा के आधार पर प्रथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

<u>सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

उपरोक्त दोनों बिन्दु एक दूसरे से अंतर्संबंधी होने के कारण व सुविधा की दृष्टि से इनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में आवेदक प्रश्नगत भूमि के मौके तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की हद तक प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति आवेदक के पक्ष में बनना प्रकट होता है। इस प्रकार ये दोनों बिन्दू भी आवेदक के पक्ष में निर्धारित किये जाते है।

उपरोक्त विवेचन के अनसार तीनों ही बिंदु प्रार्थीगण के विरूद्व तय किए जाते है। ऐसे में अप्रार्थीण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है।

स्पष्ट किया जाता है कि उपर किया गया विवेचन मात्र इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रयोजन से किया गया है। इसमें अंकित किसी भी बात को मूल वाद के गुणावगुण पर कोई प्रभाव डालने वाला नहीं समझा जायेगा।

अतः मूल वाद के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्ति किये बिना आवदेक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **आदेश 39 नियम 01 व 02 सिविल प्रक्रिया संहिंता, 1908** विरूद्ध अनावेदक **स्वीकार किया जाकर** अनावेदक को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक आवेदक की वाद व प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि/विवादित भूखंड के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे और न ही करावें तथा अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखे। खर्चे बाबत आदेश मूल वाद के निस्तारण के समय किया जावेगा।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फेसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

सुमन चौधरी
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला–झुंझुनूं